UPMZ010019602014

न्यायालय SPECIAL JUDGE(SC. ST. ACT), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (SRI SITA RAM), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06368

सत्र परीक्षण सं0–919 सन् 2014

राज्य बनाम काला उर्फ बबलू

दिनांक–07.03.2026

आज यह पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त काला उर्फ बबलू पुत्र अन्सार निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी शामली जिला शामली के सम्बन्ध में थाना शाहपुर से आख्या प्राप्त हुई है, जिसमें सी.डब्लू.–1 हेड कां0 362 विकास कुमार हाल तैनाती थाना आदर्श मण्डी जिला शामली द्वारा कहा गया कि मैं थाना आदर्श मण्डी शामली पर थाना पैरोकार के पद पर कार्यरत हूं। एस.आई. देव दत्त शर्मा मेरे साथ थाने पर तैनात रहे हैं। मैंने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है। मैं उनका हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। पत्रावली पर कागज सं.–24ख/1 अभियुक्त काला उर्फ बबलू पुत्र अन्सार निवासी बनत जिसको गांव में राशिद उर्फ बबलू पुत्र अन्सार के नाम से जाना जाता है की मृत्यु दिनांक–11.12.2024 को हो जाने के सम्बन्ध में आख्या है जो एस.आई. देवदत्त शर्मा के हस्तलेख व दस्तखतीय है इस पर प्रदर्श सी.–1 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं.–24ख/2 निवर्तमान सभासद तथा सभासद नगर पंचायत बनत वार्ड नं.–9 इकराम अली उर्फ मुन्नु का प्रमाण पत्र तथा 24ख/3 अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति है।

न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.–1 हेड कां0 362 विकास कुमार के बयान पत्रावली पर प्रस्तुत प्रपत्र, मृत्यु आख्या आदि का सम्यक परिशीलन किया गया। जिनसे स्पष्ट है कि अभियुक्त काला उर्फ बबलू की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में गवाह सी.डब्लू.–1 हेड कां0 362 विकास कुमार का बयान, पत्रावली पर प्रस्तुत प्रपत्र के आलोक में अभियुक्त काला उर्फ बबलू के विरूद्ध प्रस्तुत मामला उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त काला उर्फ बबलू पुत्र अन्सार निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी शामली जिला शामली के विरूद्ध प्रस्तुत मामला उपशमित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सीताराम)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/
(एस.सी./एस.टी.एक्ट), मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by SITA RAM
Date: 2026.03.07 15:53:48 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court